बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–4 / निदे0–छात्रवृत्ति(विविध)–181–05 / 2009– 2459

संकल्प

पटना, दिनांक– 31/10/12

विषयः– प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत सरकारी, स्थायी मान्यता प्राप्त, तथा स्थापना अनुमति प्रस्वीकृत विद्यालयों में वर्ग–1 से 10 में अध्ययनरत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र / छात्राओं को वर्ष–2012–13 में दिनांक–01.04.12 से 30.09.12 तक की अवधि में 75 प्रतिशत की उपस्थिति के आधार पर छात्रवृति दिये जाने एवं शिक्षा विभाग द्वारा मुख्य मंत्री बालिका पोशाक योजना और मुख्य मंत्री बालक / बालिका साईकिल योजना के लिए निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुसार छात्रवृति का वितरण किये जाने के संबंध में।

वर्त्तमान में प्री–मैट्रिक छात्रवृति की स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय छात्रवृति–वर्ग–1 से 5 तक ग्राम पंचायत एवं वर्ग–6 से 10 तक पंचायत समिति तथा शहरी क्षेत्र में विद्यालय छात्रवृति–वर्ग–1 से 5 तक प्रखण्ड छात्रवृति समिति एवं वर्ग–6 से 10 तक अनुमंडल छात्रवृति समिति द्वारा दी जाती है, जबकि वितरण नगद रूप से कैम्प लगाकर जन प्रतिनिधियों / पदाधिकारियों / कर्मचारियों की उपस्थिति में किया जाता है।

2– सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा प्री–मैट्रिक छात्रवृति योजना के तहत सरकारी, स्थायी मान्यता प्राप्त, स्थापना अनुमति की प्रस्वीकृति विद्यालयों में वर्ग–1 से 10 तक में अध्ययनरत अनु0जाति एवं अनु0जनजाति के छात्र / छात्रा को वर्त्तमान वर्ष–2012–13 में दिनांक–1.04.12 से 30.09.12 तक की अवधि में 75 प्रतिशत की उपस्थिति के आधार पर छात्रवृति दिये जाने एवं शिक्षा विभाग द्वारा मुख्य मंत्री बालिका पोशाक योजना और मुख्य मंत्री बालक / बालिका साईकिल योजना के लिए निर्धारित दिशा–निर्देश के अनुसार छात्रवृति का वितरण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– उपरोक्त व्यय मांग संख्या–44 के तहत् मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण" के अन्तर्गत विकलनीय है।

4– इस प्रस्ताव में योजना प्राधिकृत समिति एवं मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी जन प्रतिनिधियों / जनसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित की जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से

31/x/12

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 4/निदे0–छात्रवृत्ति(विविध)–181–05/2009– 2459 पटना, दिनांक–31/10/12
प्रतिलिपि– हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षिक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियां भेजने हेतु अग्रसारित ।

31/10/12
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 4/निदे0–छात्रवृत्ति(विविध)–181–05/2009–2459 पटना, दिनांक–31/10/12
प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार/निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी/सभी उप निदेशक कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड प्रमुख/सभी पंचायत के मुखिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/10/12
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 4/निदे0–छात्रवृत्ति(विविध)–181–05/2009–2459 पटना, दिनांक– 31/10/12
प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार/प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय को सूचनार्थ प्रेषित।

31/10/12
सरकार के सचिव।

Memo-ec-stipend 75% attendence-12-13